सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 22, शुक्रवार, *शाके* 1945-जनवरी 12, 2024 *Pausa 22 Friday , Saka 1945- January 12 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 05, 2023

संख्या प.31(3)गृह-9/2023 :-मैन्यूवर्स, फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-5) की धारा 9 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा नीचे बताए गये क्षेत्र को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें 01 नवम्बर 2043 तक की अवधि के लिए चांदमारी तथा तोपाभ्यास की क्रियान्विति हेतु 87 वीं वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल, पोकरण जिला जैसलमेर को स्माल आर्म्स फायरिंग रेंज हेतु अधिकृत किया जा सकता है।

क्षेत्र का विवरण

87 वीं वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल, पोकरण जिला जैसलमेर को आवंटित ग्राम रामदेवरा, तहसील पोकरण की खसरा नं 206/01 रकबा 212.10 बीघा भूमि।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण संबंधित कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महेश कुमार शर्मा,
शासन उप सचिव।

6339

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।